रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 1970/कार्तिक 28, 1892
No. 187] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 1970/KARTIKA 28, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th November 1970

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1970, March, 1971, (Amendment No. 44)*

No. 157 ITC—(PN)/70:—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year April 1970-March, 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 43-ITC(PN)/70 dated 31-3-1970 as amended from time to time.

2. The following amendments may please be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendments.
(1)	(2)	(3)
155	D.1·1 ——— Col. 5	The following may be inserted as remark No. 3 in Column 5:— "3. A manufacturer of the products mentioned in column 2 may, on request, be allowed to utilise his import licence under this policy for import of raw-materials mentioned in column 4

(1)	(2)	(3)
		against S. No. D.1.4. upto the extent of 25 per cent, provided that the licensee is also a recognised manufacturer of products falling under S. No. D.1.4.. The face value limits indicated against various items in column 4 against S. No. D1·4 will be calculated with reference to the aforesaid 25 per cent."
156	D.1·2 ——— Col. 5	The following may be inserted as remark No. 3 in column 5:— "3. A manufacturer of the products mentioned in column 2 may, on request, be allowed to utilise his import licence under this policy for import of raw-materials mentioned in column 4 against S. No. D.1.4 upto the extent of 12½ per cent provided that the licencee is also a recognised manufacturer of products falling under S. No. D.1·4. The face value limit indicated against the various items in column 4 against S. No. D.1·4 will be calculated with reference to the aforesaid 12½ per cent."
156	D.1·3 ——— Col. 5	The following may be inserted as remark No. 3 in column 5: "3. A manufacturer of the products mentioned in column 2 may on request, be allowed to utilise his import licence under this policy for import of raw-materials mentioned in column 4 against S. No. D.1.4 upto the extent of 10 per cent, provided that the licencee is also a recognised manufacturer of products falling under S. No. D.1.4. The face value limits indicated against various items in column 4 against S. No D, 1·4 will be calculated with reference to the aforesaid 10 per cent."

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1970

विषय:—अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं०)

सं० 167-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 48—आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 31—3—1970 के अन्तर्गत अप्रैल—1970—मार्च, 1971 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक वालुम 2 (रैड बुक) में निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिए समय-समय पर संशोधित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन उपयुक्त स्थानों पर नीचे निर्दिष्टानुसार किये जाएं :—

रेड बुक (वालुम 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
(1)	(2)	(3)
155	डी० 1.1 कालम 5	निम्नलिखित को कालम 5 में टिप्पणी 3 के रूप में निविष्ट किया जाए :— "3. कालम 2 में उल्लिखित उत्पादों के निर्माता को, आवेदन करने पर, इस नीति के अन्तर्गत, क्रम सं० डी० 1.4 के सामने कालम 4 में उल्लिखित कच्चे माल के आयात के लिए 25 प्रतिशत की सीमा तक उनके आयात लाइसेंस का उपयोग करने के लिए अनुमित किया जा सकता है, बशर्ते कि लाइसेंस-धारी क्रम सं० डी० 1.4 के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों का मान्यता निर्माता भी है। क्रम संख्या डी 1.4 के सामने कालम 4 में भिन्न-भिन्न मदों के सामने निर्दिष्ट की गई अंकित मूल्य सीमाओं की गणना पूर्वोक्त 25 प्रतिशत के संदर्भ में की जाएगी।"
156	डी० 1.2 कालम5	निम्नलिखित को कालम 5 में टिप्पणी 3 के रूप में निविष्ट किया जाए :— "3. कालम 2 में उल्लिखित उत्पादों के निर्माता को, आवेदन करने पर, इस नीति के अन्तर्गत, क्रम संख्या डी० 1.4 के सामने कालम 4 में उल्लिखित कच्चे माल के आयात के लिए 12½ प्रतिशत की सीमा तक उनके आयात लाइसेंस का उपयोग करने के लिए अनुमति किया जा सकता है बशर्ते कि लाइसेंस-धारी क्रम संख्या डी० 1.4 के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों का मान्यता प्राप्त निर्माता भी है। क्रम सं० डी 1.4 के सामने कालम 4 में भिन्न-भिन्न मदों के सामने निर्दिष्ट अंकित मूल्य सीमाओं की गणना पूर्वोक्त 12½ प्रतिशत के संदर्भ में की जाएगी।"
156	डी० 1.3 कालम 5	निम्नलिखित को कालम 5 में टिप्पणी 3 के रूप में निविष्ट किया जाए :— "3. कालम 2 में उल्लिखत उत्पादों के निर्माता को, आवेदन करने पर, इस नीति के अन्तर्गत, क्रम संख्या डी 1.4 के सामने कालम 4 में उल्लिखित कच्चे माल के आयात के लिए 10 प्रतिशत की सीमा तक उनके आयात लाइसेंस का उपयोग करने के लिए अनुमित किया जा सकता है, बशर्ते कि लाइसेंस-धारी क्रम सं० डी० 1.4 के अन्तर्गत

(1)	(2)	(3)
		आने वाले उत्पादों का मान्यता-प्राप्त निर्माता भी है । क्रम संख्या डी 1.4 के सामने कालम 4 में भिन्न-भिन्न मदों के सामने निर्दिष्ट अंकित मूल्य सीमाओं की गणना पूर्वोक्त 10 प्रतिशत के संदर्भ में की जाएगी ।"

आर० ज० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970